

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJBIL/2000/1717 J.P.C./3588/02/2003-05 RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 17, गुरुवार, शाके 1927—अप्रैल 7, 2005 Chaitra 17, Thursday, Saka 1927—April 7, 2005	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (i)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।
लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 4, 2005

जी.एस.आर.—3, राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम सं. 13) की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (संशोधन) नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **नियम 2 का संशोधन** :— राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के उप-नियम (1) के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड (कक) और (ककक)

जोड़े जायेंगे, अर्थात् :-

(कक) "बोर्ड" से राज्य सड़क विकास निधि प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है,
(ककक) "परियोजना" से किसी राज्य सड़क के विकास के लिए प्रस्ताव अभिप्रेत है",

3. नियम 3 का संशोधन :- उक्त नियमों के नियम 3 में,

(i) विद्यमान शीर्ष "कर का बिन्दु" के स्थान पर शीर्ष "उपकर का बिन्दु" प्रतिस्थापित किया जायेगा,

(ii) विद्यमान उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (5) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(5) मूल्य परिवर्धित कर प्रणाली के अधीन उपकर राज्य के भीतर विक्रयों की आवलियों में ऐसे बिन्दु पर संदत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।"

4. नये नियम 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का अन्तः स्थापन :- विद्यमान नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अन्तः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :-

4. निधि की स्थापना - निधि लोक लेखा में स्थापित की जायेगी और राज्य सरकार के लेखाओं में शीर्ष 8225-सड़क और पुल निधि 02-101 (01) के अधीन वर्गीकृत की जायेगी। यह लेखा ब्याज रहित लेखा होगा।

5. निधि में अंशदान के लिए और उसके उपयोग के लिए लेखा प्रक्रिया :-

(1) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार संगृहीत उपकर की रकम निम्नलिखित प्राप्ति शीर्ष में जमा की जायेगी :-
0040-विक्रय कर, व्यापार आदि पर कर
800-अन्य प्राप्तियां
(03)-डीजल और पेट्रोल पर उपकर

(2) निम्नलिखित व्यय शीर्ष में समूचेत बजट उपबन्ध

किये जायेंगे जिससे निधियां संचित निधि से उक्त निधि में अन्तरित की जा सकें :-

3054-सड़क और पुल

80-सामान्य

797-आरक्षित निधि/आन्तरिक से/जमा लेखा से भतर (02) राज्य सड़क विकास निधि से/आन्तरिक

82 -आन्तरिक से निधि

(3) एकम वाणिज्य कर विभाग द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित संग्रहण व्ययों की कटौती करने के पश्चात्, वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर ऐसे अन्तरालों पर निधि में अन्तरित की जायेगी जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किये जायें।

(4) कुल व्यय विभाग के सुसंगत बजट शीर्ष (पहले से ही विद्यमान बजट शीर्षों) से लोक निर्माण वितीय और लेखा नियमों में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जायेगा।

6. निधि का आवंटन :- राज्य सरकार राज्य में सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इतनी निधियां आवंटित और संवितरित कर सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे।

7. राज्य सड़क विकास निधि प्रबन्ध बोर्ड का गठन :-

(1) राज्य सड़क विकास निधि के प्रबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन एक राज्य सड़क विकास प्रबन्ध बोर्ड गठित किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष को अपवर्जित करते हुए, बोर्ड के कम से कम प्रचास प्रतिशत सदस्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, और ऐसे सदस्य शासन सचिव की रैंक से नीचे के नहीं होंगे और पदेन हैसियत में कार्य करेंगे।

- (3) शेष सदस्य आटोमोबाइल/परिवहन उद्योग, ट्रक ऑपरेटर संगम के प्रतिनिधि, वित्तीय संस्थाओं/कारबारी समुदाय, वृत्तिक निकायों और शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं, बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न सड़क उपयोक्ता समूहों से लिये गये विख्यात व्यक्ति होंगे और उनका नामनिर्देशन राज्यसरकार द्वारा किया जायेगा।
- (4) बोर्ड में अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए, किसी भी समय 9 से कम और 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
- (5) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तीन वर्ष तक पद धारित करेंगे। अपनी पदावधि की समाप्ति पर गैर-सरकारी सदस्य दूसरी अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (6) गैर-सरकारी सदस्य प्रति बैठक ऐसा पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये।
- (7) बोर्ड छह मास में कम से कम एक बैठक ऐसे समय और स्थान पर करेगा जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाये, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा।
- (8) **बोर्ड की शक्तियां और कृत्य :-** बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों को प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा :-
- (i) निधि के प्रबंध को सुकर बनाने के लिए कार्यान्वयन नीतियां और प्रक्रियाएं बनाना और राज्य सरकार को उनकी सिफारिश करना,
 - (ii) दीर्घकालीन और वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं बनाना,
 - (iii) इन नियमों के अधीन परियोजनाओं के लिए निधि के आवंटन हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करना,

- (iv) परियोजनाओं के लिए विभिन्न निधीयन विकल्पों की पहचान करना, चयनित परियोजनाओं के लिए वित्तीय योजनाओं और क्रियान्वयन अनुसूचियों पर विचार करना और उनकी सिफारिश करना,
- (v) क्रियान्वयन एजेंसियों या किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों के साथ परियोजनाओं के विकास, संनिर्माण, मरम्मत, पुनर्वास, उन्नतकरण, सुधार, कार्यान्वयन और रखरखाव को सुनिश्चित करना,
- (vi) परियोजनाओं के क्रियान्वयन को मॉनीटर करना और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सलाह और मार्गदर्शन देना कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन अनुसूचि और गुणवत्ता अनुबन्धों के अनुसार हो रहा है,
- (vii) कार्यान्वयन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में निधि के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त कार्यान्वयन एजेंसियों, परामर्शदाताओं या किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों को निधी का संवितरण प्राधिकृत करना,
- (viii) विभिन्न सड़क उपयोक्ताओं से जानकारी और सुझावों के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना और तदनुसार निधि की विनिधान नीतियां बनाना,
- (ix) सड़क सेक्टर में आधुनिक तकनीकों और प्रबंध पद्धतियों को लागू और विकसित करने हेतु परिवहन सेक्टर में घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ नीतिगत मैत्री/सहयोजन करना,
- (x) निधि के भावी उपयोजन के लिए परियोजनाओं के शेल्फ सृजित करने के लिए साध्यता अध्ययन/ट्रेफिक और विस्तृत इंजिनियरिंग सर्वेक्षण और अन्य अध्ययन/सर्वेक्षण करना,

- (xi) राज्य सरकार को राज्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए सहायिकी की मंजूरी या अन्य पूंजीगत सहयोग के लिए सिफारिश करना,
- (xii) राज्य सड़क विकास परियोजनाओं हेतु लिये जामें वाले प्रयोजनीय ऋणों के लिए निधि में भविष्य में होने वाली प्राप्तियों की संवीक्षा के पश्चात् राज्य सरकार को सिफारिश करना,
- (xiii) बोर्ड, सचिव लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता के अधीन एक समिति, जिसमें सदस्यों के रूप में दित्त विभाग का प्रतिनिधि, जो सचिव की रैंक से नीचे का न हो, मुख्य इंजिनियर लोक निर्माण विभाग की रैंक का एक तकनीकी सदस्य और एक गैर सरकारी बोर्ड सदस्य होगा, को दिन-प्रतिदिन के कृत्यों का निर्वहन समनुदेशित कर सकेगा।
- (xiv) बोर्ड समिति को ऐसे अन्य कृत्य भी समनुदेशित कर सकेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों।

9. प्रशासनिक विभाग :- इन नियमों के प्रवर्तन से सम्बद्ध सभी मामलों के लिए लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) प्रशासनिक विभाग और सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

संख्या प. 8 (11) सा.नि./94 जयपुर दिनांक 04.04.2005

राज्यपाल के आदेश से
(एच.एस.मीणा)
शासन उप सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC WORKS DEPARTMENT**

NOTIFICATION

G.S.R.-3 In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004 (Act No. 13 of 2004), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan State Road Development Fund Rules, 2004.

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Rajasthan State Road Development Fund (Amendment) Rules, 2005.

(2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 2:

After the existing clause (a) of sub rule (1) of rule 2 of the Rajasthan State Road Development Fund Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules, following new clauses (aa) and (aaa) shall be added; namely:-

"(aa) "Board" means State Road Development Fund Management Board.

"(aaa) "Project" means proposals for Development of any State Road".

3. Amendment of rule 3:

In rule 3 of the said rules;

(i) the existing heading "Point of Tax" shall be substituted by the heading "Point of Cess".

(ii) after the existing sub-rule (4), following new sub-rule (5) shall be added; namely

"(5) The cess under the Value Added Tax (VAT) System shall be paid at the point in the series of sales within the State, as may be notified by the State Government".

4. Insertion of new rules, 4,5,6,7,8 & 9- after the existing rule 3 of the said rules, the following new rules 4,5,6,7,8 & 9 shall be inserted, namely:-

"4. **Constitution of the Fund:**

The Fund would be constituted in the Public Account and classified under the Head 8225 - Roads and Bridges Fund - 02-101.(01) in the accounts of the State Government. This account would be a non-interest bearing account.

5. **Accounting procedure for contribution to the Fund and for its utilization:**

- (1) The amount of Cess collected as per section 3 of the Act, would be credited to the following Receipt Head:-

0040 - Sales Tax, Taxes on Trade etc.
800 - Other Receipts
(03) - Cess on Diesel and Petrol

- (2) In the following expenditure head, appropriate budget provision would be made so that funds may be transferred from the Consolidated Fund to the Fund:-

3054 - Roads & Bridges
80 - General
797 - Reserve Fund / To Deposit
Accounts/ from internal
(02) - From State Road Development
Fund/To internal
82 - Internal to Fund

- (3) Amounts would be transferred to the Fund at such intervals as may be decided by the Board on the basis of actual receipts, after deducting the expenses of collection duly verified by the Commercial Taxes Department.

- (4) The total expenditure would be made from the relevant Budget Head of the Department (already existing budget heads) following the procedure outlined in the Public Works Financial and Accounts Rules.

6. Allocation of Fund:

The State Government may allocate and disburse such funds, as it considers necessary, for the implementation of road projects in the State.

7. Constitution of the State Road Development Fund Management Board:

- (1) For the management of the State Road Development Fund, a State Road Development Management Board shall be constituted by the State Government under sub section (2) of Section 9 of the Act.
- (2) At least fifty percent members of the Board, excluding the Chairperson, shall be representatives of the State Government, and such members shall not be below the rank of Secretary to Government and shall function in an ex-officio capacity.
- (3) The remaining members shall be individuals of eminence drawn from the various road user groups including the automobile/transport industry, representative of truck operators association, financial institutions/business community, professional bodies and academic and research institutions, representative of insurance companies, representative of NGO and they shall be nominated by the State Government.
- (4) The Board shall consist at any time of not less than 9 and not more than 15 members, including the Chairperson.
- (5) Members of the Board, other than the ex-officio members, shall hold office for three years. Upon completion of their tenure, the non-official members are eligible for re-appointment for another term.
- (6) The non-official members shall be entitled to remuneration per meeting as specified by the State Govt. from time to time.

- (7) The Board shall meet at least once in six months at such time and place as the Chairperson may decide. The Chairperson and, in his absence, the Vice Chairperson, shall preside at each meeting of the Board.

8. **Powers & Functions of the Board:**

The Board shall exercise the following powers and discharge the following functions:

- (i) Formulate and recommend to the State Government operational policies and procedures to facilitate management of the Fund.
- (ii) Draw up long term and annual operating plans.
- (iii) Recommend to the State Government allocation of the fund for the projects under these rules.
- (iv) Identify various options for Projects, consider and recommend financing plans and implementation schedules for selected Projects.
- (v) Ensure development, construction, repair, rehabilitation, up-gradation, improvement, operation and maintenance of Projects with implementing agencies or any other persons.
- (vi) Monitor implementation of Projects and provide necessary advice and guidance to ensure that Projects are implemented as per schedule and quality stipulations.
- (vii) Authorize disbursement of funds to implementing agencies, consultants or any other persons appointed for implementing the objectives of the Fund pursuant to the operational policies and procedures.
- (viii) Act as a focal point for information and suggestions from various road users and formulate investment policies of the Fund accordingly.

- (ix) Create strategic alliances/associations with domestic and international experts in the transportation sector to introduce and nature modern technologies and management practices in the road sector.
- (x) Commission feasibility studies, traffic and detailed engineering surveys and other studies/surveys in order to create a shelf of projects for future application of the Fund.
- (xi) Recommend to the State Government for grant of subsidy or other capital support for State Road Development Projects.
- (xii) Recommend to the State Government securitizing of future receipts into the Fund for leveraging loans to be taken for State Road Development Projects.
- (xiii) The Board may assign the discharge of the day to day affairs to a committee under the chairmanship of Secretary PWD with the representative of the Finance department not below the rank of Secretary, one technical member of the rank of Chief Engineer PWD, one non-official Board member, as members.
- (xiv) The Board may also assign such other functions to the Committee as are not inconsistent with the provisions of the Act.

9. Administrative department:

The Public Works Department (PWD) would serve as the Administrative department and the Secretariat for all matters pertaining to the operation of these Rules."

N. F. 8 (11) PW/94 Jaipur, Dated 04.04.2005

By Order of the Governor,

(H.S. Meena)

Dy. Secretary to Govt.